मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

ज्ञापन

क्रमांक: १६८८ .:सी.आर. ३६४:१:३:६५ भोपाल, दिनांक १६ श्रावण,१८८७।
१० अगस्त,१९६५।

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषय: शासकीय सेवकों को अवकाश देने संबंधी।

शासन के यह देखने में आया है कि कभी कभी अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवकाश पर जाने के लिये मौखिक रूप से आदेश दे देते है। यह प्रणाली ठीक नहीं है। यह तो माना जा सकता है कि कभी कभी लिखित आवेदन पत्र पर आदेश देने के लिये समय न हो परन्तु ऐसे अवसर कम ही आते हैं। फिर भी ऐसे मामलों में बाद में संपोदन :Confirmation: की कार्यवाही की या कराई जा सकती है।

२. अत: शासन द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में शासकीय सेवकों को अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की इजाजत हमेशा लिखित रूप में ही दी जानी चाहिये। जहां ऐसा करना तत्काल संभव न हो वहां दिये गये मौखिक आदेश का संपोदन तुरन्त बाद किया जाना चाहिये।

राज्य पाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
अ.श.सिद्दीकी
:अ. श. सिद्दीकी:
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

.......२